कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01 / यो0बजट–06 / 2017– 981 दिनांक : 30/7/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची / बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा / मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत लाह फार्म में विभागीय स्तर से लाह उत्पादन एवं संग्रहण आदि (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 105.313 लाख (एक करोड़ पाँच लाख एकतीस हजार तीन सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0बजट–22 / 2017–08 / स्वी0 व0प0 दिनांक 26.05.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–22 / 2017–35 / आ0 व0प0 दिनांक 02.05.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष– 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 105.313 लाख (एक करोड़ पाँच लाख एकतीस हजार तीन सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102090103	84.444
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102090323	20.869
कुल :–		**105.313**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601102090103 तथा 19S240601102090323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परितर्वन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों / वन संरक्षकों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार / उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इसके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाता / डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का

निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–06/2017–**981 दिनांक– 30/7/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ बोकारो/ हजारीबाग/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ बोकारो/ चतरा/ मेदिनीनगर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–06/2017–**981 दिनांक– 30/7/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ बोकारो/ चतरा/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली ''लघु वन पदार्थ का उन्नयन'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत लाह फार्म में विभागीय स्तर से लाह उत्पादन एवं संग्रहण, भंडारण आदि का उप आवंटित प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	लाह फार्म का नाम	भौतिक लक्ष्य (वृक्षों की कुल संख्या)	(द्वितीय वर्ष)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				181.60	**44.88**	**226.48**
i	ii	iii		viii	ix	x
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	किता लाह फार्म, सिल्ली	5000	9.080	2.244	11.324
योग :–			**5000**	**9.080**	**2.244**	**11.324**
2	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	तियाड़ा, चास	10000	18.160	4.488	22.648
		सिलफोर, चास	10000	18.160	4.488	22.648
		काशी झरिया, चास	10000	18.160	4.488	22.648
योग :–			**30000**	**54.480**	**13.464**	**67.944**
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	जोरी लाह फार्म	1500	2.724	0.673	3.397
योग :–			**1500**	**2.724**	**0.673**	**3.397**
4	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	कुन्दरी लाह फार्म	10000	18.160	4.488	22.648
योग :–			**10000**	**18.160**	**4.488**	**22.648**
सकल योग :–			**46500**	**84.444**	**20.869**	**105.313**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक– 2

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लाह फार्म विकास हेतु कार्य दर

पौधों की संख्या : 1000

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानक दर	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
द्वितीय वर्ष 2018–19 (मजदूरी दर : 237.38/–रू0 प्रति मानव दिवस)						
1	वृक्षों की कटाई–छंटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	200	47476.00		47476.00
2	कीटनाशक का क्रय	30.00 प्रति वृक्ष		0.00	30000.00	30000.00
3	कीटनाशक छिड़काव मशीन	1 मशीन प्रति 1000 पेड़ @ 6000/–		0.00	6000.00	6000.00
4	संधारण एवं सुरक्षा	1 मानव दिवस (365 दिन)	365	86643.70		86643.70
5	पर्यवेक्षक–01 (अक्टूबर से मार्च तक– 6 माह)	प्रति माह @ 6000/–रू0		0.00	3875.00	3875.00
6	लाह का संग्रहण एवं भंडारण	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	200	47476.00	5000.00	52476.00
	योग :–		**765**	**181595.70**	**44875.00**	**226470.70**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–22/2017–08 दिनांक 26.05.2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-06/2017/981 दिनांक - 30-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	44745	DRNFWL013 BIMAL LAKRA DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	908,000.00 रुपये नौ लाख आठ हजार
2	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	44746	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	5,448,000.00 रुपये चौपन लाख अडतालीस हजार
3	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	44747	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	272,400.00 रुपये दो लाख बहत्तर हजार चार सौ

योग: 6,628,400.00

क्रमिक योग: रुपये छाछठ लाख अठाइस हजार चार सौ

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEV. JHARKHAND RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 30/7/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	44748	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV.	1,816,000.00 रुपये अठारह लाख सोलह हजार
5	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	44750	DRNFWL013 BIMAL LAKRA DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	224,400.00 रुपये दो लाख चौइस हजार चार सौ
6	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	44751	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	1,346,400.00 रुपये तेरह लाख छयालीस हजार चार सौ

योग: 3,386,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पंद्रह हजार दो सौ 10,015,200.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN)

PCCF.D[illegible])RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 30/7/2018

पत्र संख्या - 01/YB-06/2017/981 दिनांक - 30-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	44752	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	67,300.00 रुपये सड़सठ हजार तीन सौ
8	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	44753	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV.	448,800.00 रुपये चार लाख अडतालीस हजार आठ सौ

योग: 516,100.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पाँच लाख इकतीस हजार तीन सौ 10,531,300.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEV.JHARKHAND)RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 30/7/2018